निर्णय रजि

न्यायालय :– देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौहरगंज जिला रायसेन (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक– 453/26

शासन विरूद्ध सावित्री बाई

//निर्णय//

(आज दिनांक 18/8/2026 को घोषित किया गया।)

01. अभियुक्त सावित्री बाई द्वारा अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति किये जाने के आधार पर अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) आब. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

02. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति एवं समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

03. परिणामस्वरूप दण्ड के प्रश्न पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया की गयी अपराध स्वीकारोक्ति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) आब. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास और पांचसौ (500=00) रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को 10 दिवस/~~माह~~ का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावें।

04. प्रकरण में जप्तशुदा 05 लीटर कच्ची महुआ शराब आबकारी विभाग को वापस की जावे/महत्वहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(हस्ताक्षर) 18/8/2026

देवेन्द्र अतुलकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गौहरगंज, जिला रायसेन (म0प्र0)

न्यायिक मजिस्ट्रेट गौहरगंज जिला रायसेन